



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276228
CG-DL-E-15092026-276228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4874]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 4874]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

का.आ. 5064(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 2के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, की अधिसूचना का.आ. 2575 दिनांक 03 अगस्त 2012 के द्वारा श्री मनोज कुमार जाधव, उप प्रबंधक (आरओयू) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को बीपीसीएल की मुंबई-मनमाड-विजवासन पाइपलाइन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के पद के दिए गए प्राधिकार के अधिपत्य का अधिक्रांत करते हुये, भारत सरकार नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध मे उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात :-

अनुसूची	
प्राधिकारी का नाम और पदनाम (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
डिप्टी कलेक्टर (भूसंपादन), लघु सिंचाई, नाशिक (महाराष्ट्र), सक्षम प्राधिकारी, मुंबई-मनमाड-बिजवासन पाइपलाइन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	महाराष्ट्र राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025/7/2026-ओआर-1/ई-57170]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

S.O. 5064(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of authorization given to Shri Manoj Kumar Jadhaw, Dy. Manager (ROU) Pipelines of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) as a Competent Authority for Mumbai-Manmad-Bijwasan Pipeline of BPCL for Maharashtra region through Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India vide. S.O. 2575 dated 03rd August 2012, the Government of India hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Name & Designation of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Deputy Collector (Land Acquisition), Minor Irrigation, Nashik, Maharashtra, Competent Authority, Mumbai-Manmad-Bijwasan- Pipeline, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	State of Maharashtra

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025/7/2026-OR-I/E-57170]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.